Form No. III

11-2025/3

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी .....मुकाम .....बयाना.....
विधादेवी .....बनाम.....बबीता शर्मा वगैराह .....
किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ..... न 03/25 सन .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
08.01.2025	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण मूल के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 52/732 रकवा 0.32 हैक्टेयर वाके ग्राम जसवन्त नगर तहसील बयाना में वादिनी के 4/5 हिस्से की आराजी की बनी डौल मेडों को तोडकर किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें। गड्ढे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त नहीं करें। फसल को बर्बाद नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। आराजी खसरा नं. 65 एवं खसरा नं. 788/69 गैर मुमकिन सडक मे किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें। हमने एड. प्रार्थी को एकपक्षीय सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्रार्थीगण मूल के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 28.02.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी खसरा नं. 52/732 रकवा 0.32 हैक्टेयर वाके ग्राम जसवन्त नगर तहसील बयाना एवं आराजी खसरा नं. 65 एवं खसरा नं. 788/69 गैर मुमकिन सडक में वर्णित आराजी वाके ग्राम जसवन्तनगर तहसील बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.02.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज BPR 8/1/25 पीठासीन अधिकारी ..... हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-1-25 को पेश है रीडर उप./एस.डी.एम 2013/25 जवाब प्रतिभापत्र अगामी तारीख को पेश हुआ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/7/25	बमुलाहिजा उपस्थित प्रार्थी [illegible] अग्रिम जमानत [illegible] 23/7/25 को पेश हो।
23/7/25	बमुलाहिजा अग्रिम पक्ष उपस्थित प्रार्थी [illegible] अग्रिम सुनी गई। प्रार्थी [illegible] अग्रिम [illegible] को पेश हो।
20/7/25	रीडर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी.....है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/8/25 को पेश है। रीडर अति०सत्र न्या०
4/8/25	बमुलाहिजा उपस्थित [illegible] प्रार्थी [illegible] अग्रिम [illegible] उपस्थित [illegible] प्रार्थी [illegible] पेश हो। [illegible] अग्रिम [illegible] पेश हो। अग्रिम [illegible] अति० सत्र न्यायाधीश [illegible]